दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

पत्रांक :................/प0गो0/2015 दिनांक : 26–03–2015

परीक्षा समिति की बैठक दिनॉक 26/03/2015 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति	अध्यक्ष
2. प्रो0 सुरेन्द्र दूबे, अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3. प्रा0 एच0एस0 शुक्ला, अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
4. प्रो0 जितेन्द्र तिवारी, अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
5. डॉ0 महेश्वर सिंह, अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
6. डॉ0 कमलेश कुमार गौतम, प्राचीन इतिहास विभाग	सदस्य
7. डॉ0 सी0एस0 मिश्र ,वरिष्ठ शिक्षक, एल0बी0एस0 डिग्री कालेज	सदस्य
8. प्रो0 जितेन्द्र तिवारी, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
9. डॉ0 राजेश मिश्र, अध्यक्ष, महाविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
10. अशोक कुमार अरविन्द, कुलसचिव	सदस्य
11. श्री अखिलेश कुमार पाल, परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यवृत्त :–

1. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 13–02–2015 की सम्पुष्टि पर विचार।
   निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक–13/02/15 की सम्पुष्टि की
2. एम0एड0 एवं परास्नातक कक्षाओं की अप्रायोगिक समस्त मौखिकी विश्वविद्यालय एवं नोडल केन्द्रों पर कराने पर विचार।
   निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अगले वर्ष–2016 के नोडल केन्द्रों पर परीक्षा करा ली जाय।
3. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30.09.2014 के बिन्दु 10 तथा परीक्षा समिति की बैठक दिनांक–13/02/2015 के बिन्दु 9 पर अरुंधती पाण्डेय का प्रकरण रखा गया था। समिति ने सर्व सम्मत से निर्णय लिया था कि बी0ए0 भाग एक, भाग दो, भाग तीन के चार्ट को कालेज से मंगाया जाय और कालेज के द्वारा निर्गत अंक पत्रों को सत्यापित कराया जाय। सत्यापित होने के बाद प्राचार्य से विस्तृत आख्या मांगी जाय। कालेज के सारणीयन पंजिका की प्रति प्राप्त हो गयी है। प्राप्त सारणीयन पंजिका की प्रति पर विचार।
   निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि महावि0 एवं वि0वि0 के सा0पं0 में प्राप्तांक का संशोधन करा दिया जाय।
4. श्री सुदामा यादव महावि0 पिपराईच, लक्ष्मीपुर, धनौती खुर्द देवरिया के प्राचार्य ने अपने पत्र दिनांक–25/02/15 के द्वारा पांच अभ्यर्थियों का नाम, पिता का नाम एवं विषय संशोधन करने का आग्रह किया है; नाम एवं विषय संशोधन करने पर विचार।
   एजेण्डा नोट :–पत्र में उल्लेख किया गया है कि महावि0 द्वारा जो नामिनल रोल दिया गया है उसके विपरीत ई0डी0पी0 द्वारा अभ्यर्थियों का नाम एवं विषय अंकित किया गया है; नाम विषय संशोधन के सम्बन्ध में दिनांक–03/08/2010, 22/01/2011 तथा 28/01/2011 का पत्र प्रेषित है जिसकी छायाप्रति संलग्न है, जांचपत्र एवं पी–7 एवं नामिनल रोल की भी छायाप्रति संलग्न है तथा बी0ए0 भाग दो के नाम, विषय का संशोधन न होने के कारण बी0ए0 भाग तीन के परीक्षाफल में W लगा कर रोक दिया गया है।
   कु0 सुधीरा तिवारी बी0ए0 भाग दो अनु0–3061240306 का नाम, पिता का नाम एवं विषय संशोधन हेतु पूर्व परीक्षा नियंत्रक द्वारा आदेश किया है
   निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित 5 छात्रों का नाम, पिता का नाम, विषय, का सारणीयन पंजिका में संशोधन करा दिया जाय और अंकतालिका निर्गत कर दी जाय तथा समिति ने यह भी निर्णय लिया कि इस प्रकरण में विलम्ब क्यों हुआ स्पष्ट आख्या मांगा जाय और उस आख्या को परीक्षा

5. कलावती देवी पत्नी, श्री राधेश्याम यादव बी0एड0 अनु0–8484, वर्ष–1983 अग्रसेन महिला महावि0 आजमगढ़ के विश्वविद्यालय के सारणीयन पंजिका में W अंकित है जबकि महावि0 के सारणीयन पंजिका में W अंकित नहीं है का प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक–13/02/15 के बिन्दु 12 पर रखा गया था जिसमें समिति ने निर्णय लिया कि मूल अंकतालिका का परीक्षण करा लिया जाय, मूल अंकतालिका प्राप्त हो गयी है, प्राप्त अंकतालिका पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अंकतालिका निर्गत होने में तिथियों का विरोधाभास है तिथि विसंगति के सम्बन्ध में कालेज के प्राचार्य से स्पष्ट आख्या मांगी जाय।

6. याचिका संख्या 4826/2015 जवाहर लाल नेहरू स्मारक पी0जी0 कालेज, महराजगंज एवं उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.01.2015 के संदर्भ में 453 छात्र/छात्राओं के परीक्षा फार्म स्वीकार करने का प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक–13/02/15 के बिन्दु 13 पर रखा गया था जिसमें समति ने निर्णय लिया कि प्रकरण का जांच करा लिया जाय **यह प्रकरण प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 23/02/15 के बिन्दु 1 क पर रखा गया था जिसमें समिति ने स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत बी0ए0 पाठ्यक्रम में 993 छात्रों के प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है प्रवेश समिति के निर्णय पर विचार।**

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से प्रवेश समिति की निर्णय को स्वीकार किया।

7. सुरेश चन्द्र पाण्डेय, पुत्र दशरथ शंकर पाण्डेय, बी0एड0 वर्ष–2005–06 से सेंट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर का नाम काउंसिलिंग सूची में नहीं है महा0 द्वारा 100 से अधिक प्रवेश लेने के कारण उपाधि पर रोक लगा दी है जो कार्यालय की आख्या है। उपाधि निर्गत करने पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रकरण में विधि प्रकोष्ठ से स्पष्ट आख्या मांगी जाय।

8. वर्ष–2005–06 के बी0एड0 उपाधि देने के सम्बन्ध में दिनांक–04/12/14 के क्रम में प्रवेश समिति एवं परीक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में काउंसिलिंग से प्रवेशित छात्रों को ही उपाधि एवं उनका सत्यापन करने का निर्णय लिया गया है, कुलसचिव महोदय द्वारा काउंसिलिंग के प्रवेशित छात्रों की जो सूची प्राप्त हुयी है उन छात्रों को उपाधि निर्गत करने एवं उनका सत्यापन करने पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 4/12/14 के अनुसार कार्यवाही को सुनिश्चित किया जाय।

9. अमित कुमार जायसवाल, पुत्र–स्व0 जगदीश जायसवाल, राम मनोहर लोहिया, महा0 मालीबारी, बरियारपुर, देवरिया के बी0ए0 भाग दो अनु0 4061280351, बी0ए0 भाग तीन अनु0–5111280017 का परीक्षाफल संस्थागत से व्यक्तिगत करने पर विचार।

एजेण्डा नोट :– परीक्षा सामान्य की आख्या दिनांक–27/01/15 द्वारा अमित कुमार जायसवाल, बी0ए0 भाग एक संस्थागत छात्र के रूप में अनु0–3011280010 वर्ष–2010 परीक्षाफल उत्तीर्ण है छात्र ने वर्ष–2011 में बी0ए0 भाग दो अनु0–4061280351 एवं बी0ए0 भाग तीन अनु0–51112280017 की परीक्षा व्यक्तिगत छात्र के रूप में दिया है परीक्षाफल में W लगा कर रोक दिया गया है। छात्र ने पत्रांक सं0 2034/जी–2/190 दिनांक 10/08/10 को सरकारी सेवा में कार्यभार ग्रहण कर लिया है जिसकी छायाप्रति पत्रावली में संलग्न है।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि W काट कर अंकतालिका निर्गत कर दी जाय।

10. राजेश कुमार मिश्र, पुत्र–श्री गोपाल जी मिश्र, बी0कॉम0 भाग एक, दो, तीन वर्ष–1993, 1994, 1995 वि0वि0 केन्द्र से 946 अंक पा कर द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण है। बी0 काम भाग दो 1994 अंकसुधार का अंक अंकित नही है। अंकसुधार का अंक सा0पं0 में अंकित कर परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से इस प्रकरण को अस्वीकार किया।

11. प्राचार्य राजकीय महावि0 हरैय्या बस्ती में अपने पत्र दिनांक–20/12/10 के द्वारा सूचित किया है कि लक्ष्मी वर्मा, बी0ए0 भाग दो वर्ष–2009 में गृह विज्ञा प्रथम एवं द्वितीय प्रश्नपत्र में अंकसुधार के परीक्षा में सम्मिलित हुयी है। महावि0 त्रुटि के कारण अनु0–2060500012 के स्थान पर 3062140021 आवंटित किया गया है तथा उसे काट कर अनु0–3062140022 पर परीक्षा पर बैठाया गया है। अनु0 ठीक कर परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रकरण में विलम्ब क्यों हुआ। इस पर स्पष्ट आख्या मांगी जाय आख्या प्राप्त होने पर परीक्षा समिति की आगामी बैठक में रखा जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

1. पैसिफिक कालेज आफ फिजियोथिरेपी, लच्छीपुर, गोरखपुर के ऐसे 11 छात्र जो दो विषय से अधिक विषयों में फेल हैं परन्तु उन्हें बैकपेपर तथा अगली कक्षा के परीक्षा में सम्मिलित करा दिया गया है,

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बैचलर आफ फिजियोथेरेपी एवं बैचलर आफ पैथालॉजी (एम0एल0टी0) के ऐसे 11 अभ्यर्थियों को जो 2 विषय से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों द्वारा अगली कक्षा की दी हुई परीक्षा में यदि उत्तीर्ण हैं तो उक्त अंक सुरक्षित मानकर पिछली कक्षा जिसमें अनुत्तीर्ण हैं की सम्पूर्ण विषयों की परीक्षा भूतपूर्व के रूप में सम्पन्न करा ली जाय पिछले कक्षा में उत्तीर्ण होने के फलस्वरूप अगले कक्षा का जो अंक सुरक्षित है परीक्षाफल पूर्ण कर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जायेगा, साथ ही समिति ने यह भी निर्णय लिया कि कार्यालय से आख्या मांग ली जाय कि दो विषयों में फेल अभ्यर्थियों को अगली कक्षा की परीक्षाओं में कैसे बैठा कर परीक्षा दिलाया गया।

2. आगामी वार्षिक परीक्षा वर्ष–2016 में कॉमर्स पाठ्यक्रम की परीक्षा बी0एड0 के समान प्रत्येक जनपद में अनुदानित महाविद्यालयों में केन्द्र बना कर परीक्षा कराये जाने पर विचार।
   निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रकरण में एक त्रिस्तरीय समिति का गठन किया जाय और समिति की आख्या आने पर आगामी परीक्षा समिति पर रखा जाय।
3. वर्ष–2015 के परीक्षाफलों में बैकपेपर हेतु अर्ह विद्यार्थियों के परीक्षाफल में बैकपेपर अंकित किये जाने पर विचार।
   निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बैकपेपर हेतु अर्ह छात्रों के परीक्षाफल के आगे सा0पं0 में बैकपेपर अंकित किया जाय।
4. आगामी परीक्षा वर्ष–2016 में सेवानिवृत्त शिक्षकों को स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों पर केन्द्राध्यक्ष बनायें जाने पर विचार।
   निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रकरण को परीक्षा समिति की आगामी बैठक में रखा जाय।
5. वार्षिक परीक्षा 2014 के बी0ए0 भाग एक, दो,तीन तथा बी0एस–सी0 भाग एक, दो, तीन, बी0काम0 भाग एक, दो, तीन, एम0काम0 भाग एक,दो एवं एम0ए0 भाग एक दो के उन अभ्यर्थियों का जिनका परीक्षाफल INC है तथा उनकी उत्तर पुस्तिका नहीं मिल रही है और वह UFM में आरोपित भी नहीं है के परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।
   निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रकरण को परीक्षा समिति की आगामी बैठक में रखा जाय।
6. अरूण कुमार मिश्रा, एम0ए0 प्रथम वर्ष–द्वितीय सेमेस्टर, समाजशास्त्र, दी0द0उ0 गो0वि0वि0,गोरखपुर के प्रार्थना पत्र दिनांक–26/03/2015 पर विचार।
   निर्णय–समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रकरण को बोर्ड आफ स्टडीज को संदर्भित कर दिया जाय।

परीक्षा नियंत्रक
26-3-15 26/3/15

प्रतिलिपि– निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त सम्मानित सदस्य गण।
2. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. वै0स0 कुलसचिव।
4. उप कुलसचिव, परीक्षा।

परीक्षा नियंत्रक
26-3-15 26/3/15